

न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री अनिल कुमार वाष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्या:- 09/2017 (76 एल .आर. एक्ट)

उनवान

बनवारीलाल पुत्र श्री करुआ जाति निषाद निवासी ग्राम छीतापुरा तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, राजाखेडा जिला धौलपुर।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील विरुद्ध आदेश न्यायालय अति0
जिला कलक्टर धौलपुर दिनांक
30.12.2016 प्र.संख्या 50/2016 उनवानी
रामहरी बनाम सरकार।

उपस्थिति:-

1. श्री योगेश कुमार शर्मा वकील अपीलांट।
2. श्री गजेन्द्र सिंह राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक- 14.02.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय अति0 जिला कलक्टर धौलपुर के आदेश दिनांक 30.12.2016 के विरुद्ध पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि नायब तहसीलदार राजाखेडा ने आराजी खसरा नंबर 1186 किस्म बारानी दोयम रकवा 02 बीघा 07 विस्वा में से 01 बीघा भूमि, वाके ग्राम छीतापुरा तहसील राजाखेडा पर अपीलांट को पश्चात्तवर्ती अतिक्रमी मानते हुए बेदखल करने, पैनल्टी राशि आरोपित करने एवं एक माह के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया। जिसके विरुद्ध अप्राथी/अपीलांट द्वारा प्रथम अपील न्यायालय अति0 जिला कलक्टर धौलपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई। न्यायालय अति0 जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा उक्त अपील, अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.12.2016 से खारिज कर दी। जिसके विरुद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना, अपीलाण्ट की पीठ

पीछे तथ्यों की उचित जाँच पडताल किये बिना आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, जिससे अपीलान्ट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी सिद्ध होता हों। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानने में भूल की है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में विवादित भूमि पर कब्जा छोड़े जाने एवं भविष्य में कभी कब्जा नहीं करने का शपथ— पत्र भी देने को तैयार था। किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय अति० जिला कलक्टर, धौलपुर ने सजा माफ नहीं करने में कानूनी भूल की है। अपने विशेष कथन में अपीलान्ट द्वारा भविष्य में कभी भी विवादित भूमि पर कब्जा नहीं करेगा, इस आशय का शपथ पत्र वक्त बहस देने का कथन करते हुए, अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाकर सिविल जेल की सजा माफ करने का निवेदन किया।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित भूमि बारानी दायम भूमि है। जिस पर अपीलान्ट द्वारा अवैधानिक कब्जा किया गया है। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन उचित नहीं है कि अपीलान्ट विवादित आराजी पर बार—बार अतिक्रमण करने का आदी नहीं है। अपीलान्ट ने विवादित भूमि पर पूर्व में भी अतिक्रमण किया था इस बात की पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से साबित होती है। अपीलान्ट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में ही आता है एवं ऐसे पश्चात्वर्ती अतिक्रमी के खिलाफ सिविल जेल एवं शास्ति कायम करना उचित ही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जाँच उपरान्त ही निर्णय पारित किया है, जिसमें कोई कानूनी भूल नहीं की है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।
5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपीलान्ट का प्रमुखता से कथन यह रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार राजाखेडा द्वारा सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया एवं विशेष कथन में कब्जा छोड़े जाने का शपथ— पत्र प्रस्तुत किये जाने के बावजूद तहत न्यायालय अति० जिला कलक्टर, धौलपुर द्वारा सिविल जेल की सजा माफ नहीं की। हमने दोनों अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों का अवलोकन किया। अपीलान्ट का नायब तहसीलदार राजाखेडा की पत्रावली में तामीलशुदा नोटिस तो संलग्न है ही, इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 26.09.2016 के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है कि अपीलान्ट रामहरी स्वयं उपस्थित हुआ है। अतः अपीलान्ट का यह कथन कि सुनवाई का अवसर नहीं मिला उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयान तथा अन्य दस्तावेज से स्पष्ट प्रमाणित है कि अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर पूर्व में सवत 2072 में रबी की फसल की जाकर अतिक्रमण किया गया था। इस प्रकार अपीलान्ट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में ही आता है। कथित रूप से अतिक्रमण हटा लेने मात्र से, अपीलान्ट अप्रार्थी दण्ड के दायित्व को नहीं टाल सकता है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार राजाखेडा ने उचित रूप से, अपीलान्ट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर, शास्ति एवं एक माह की सिविल जेल आदेश पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं पाते हैं।
6. वक्त बहस अभिभाषक अपीलान्ट ने अपीलान्ट की ओर से पुनः अतिक्रमण नहीं करने का परिचयन (UNDERTAKING) देने की तत्परता दर्शाई गई है। चूंकि भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 अन्तर्गत सिविल जेल सजा का उद्देश्य, अतिक्रमी को निरुद्ध कर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना ही है, जिसकी पूर्ति अपीलान्ट की अन्डरटेकिंग से होती है। अतः हम, अपील अल्पांश स्वीकार करते हुए, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार राजाखेडा

को निर्देशित करना चाहेंगे कि सिविल जेल क्रियान्वयन के क्रम में गिरफ्तारी वारण्ट जारी करने से पूर्व मौके पर सत्यापन कर लेवें, यदि अपीलाण्ट अप्रार्थी द्वारा अतिक्रमण हटाना पाया जावे एवं अपीलाण्ट भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने का परिवचन दें, तो एक माह सिविल जेल की सजा स्थगित रखें। अपीलाण्ट द्वारा पुनः अतिक्रमण करने पर सिविल जेल की सजा का क्रियान्वयन करें।

7. अतः अपील अपीलांट अल्पांश स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।
8. निर्णय आज दिनांक 14.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official